स्तामेन जर राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1 PART I-Section 1 पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] No. 2491

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 2010/भाद्र 8, 1932 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 2010/BHADRA 8, 1932

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2010

सं. आरटी-25014/2/2010-आरएस,--मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथासंशोधित 16 मई, 1991 के संकल्प संख्या आरटी-23018/3/88-टी का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय सडक सरक्षा परिषद के अध्यक्ष परिषद का सहर्ष पुनर्गठन करते हैं. जो इस प्रकार है :-

क्र. र	न. विवरण	सख्या	सक्षिप्त टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
क.	सरकारी सदस्य		
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री	1	अध्यक्ष
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (के)	1	उपाध्यक्ष
3.	सड्कं परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (आर)	1	उपाध्यक्ष
	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सड़क परिवहन मंत्री	35	सदस्य
5.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक/महानिरीक्षक	35	सदस्य

(1) (2) (3) (4) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधि 7 सदस्य (i) गृह मंत्रालय (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (iii) रेल मंत्रालय (vi) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (v) भारी उद्योग विभाग (vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय (vii) योजना आयोग 7. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सदस्य अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सदस्य महानिदेशक (सडक विकास) व विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 सदस्य 10. संयुक्त सचिव (परिवहन), सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 सदस्य सचिव ख. गैर सरकारी सहयोजित सदस्य

सदस्य

सडक सुरक्षा पुरस्कार विजेता

(विजेता)

(उप विजेता)

(क) गैर सरकारी संगठन श्रेणी (i) मुस्कान, जयपुर, राजस्थान

(ii) मक्कल सेवई मैयम, तमिलनाड

(1) (2) (3) (4)

(ख) वैयक्तिगत श्रेणी

- (i) डा. ए. एम. इकराम, तमिलनाडु (विजेता)
- (ii) श्री विनायक नारायण रेवांकर, कोल्हापुर महाराष्ट्र (उप विजेता)
- 12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति
- 6 सदस्य
- (i) श्री बालकरण पटेल, निवासी पटेल कालोनी बाडारीपुरा, छिंदवाडा, मध्य प्रदेश
- (ii) श्री विनय बाकलीवाल, बी-5, रतलाम कोठी, इंदौर, मध्य प्रदेश
- (iii) डा. नरेश कुमार, प्रधान पैलेस, गांव व डाकखाना हीराकुंड, दिल्ली-110041
- (iv) श्री विनय शर्मा, भूतपूर्व एमएलए, बीएच-732, शालीमार बाग, दिल्ली-110088
- (v) श्री मनोज रजनी, गंगा इंडस्ट्रीज, देवास, मध्य प्रदेश
- (vi) श्री प्रदीप एस. मेहता, डी-217, भास्कर मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302016, राजस्थान
- सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और बीमा से संबंधित सरकारी संस्थाएं 8 सदस्य
 - (i) निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
 - (ii) निदेशक, केन्द्रीय सड्क परिवहन संस्थान, पुणे
 - (iii) अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम, मुम्बई
 - (iv) निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे
 - (v) मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा, लखनऊ
 - (vi) अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
 - (vii) निदेशक, व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अहमदनगर
 - (viii) निदेशक, आईआईपी देहरादून, उत्तरांचल

 $(1) \qquad (2)$

(2)

(3) (4)

सदस्य

14. सडक सरक्षा से संबंधित एसोसिएशन

- (i) अध्यक्ष/सचिव, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली
- (ii) अध्यक्ष/सचिव, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- (iii) कार्यकारी निदेशक, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, एसोसिएशन, नई दिल्ली
- (iv) अध्यक्ष, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
- (v) अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस, नई दिल्ली
- (vi) आल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ऑनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
- समिति के विचारणीय विषय और कार्य इस प्रकार होंगे :--
 - (i) सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के मानकों , नीतियों के नियोजन और समन्वय से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना;
 - (ii) राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों और सड़क परिवहन की प्रभारी अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा लागू किए जाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना और उनकी अनुशंसा करना:
 - (iii) सड़क दुर्घटना सांख्यिकी रखने और उसके विश्लेषण के साथ-साथ सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं के सुधार के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों का सुझाव देना;
 - (iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा उपायों पर केन्द्रीय स्तर पर सामान्यत: निगरानी रखना ।
- 3. यह परिषद् अपने संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विधि निर्धारित करेगी ।
- 4. परिषद् की एक वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक होगी। क्रम संख्या 11 एवं 12 पर गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों को इंडियन एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास से की गई विमान यात्रा अथवा वास्तविक यात्रा जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
- 5. उपर्युक्त सहयोजित संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

सरोज कुमारं दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROAD SAFETY)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th August, 2010

No. RT-25014/2/2010-RS.-In exercise of the powers conferred under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in supersession of Resolution No. RT-23018/ 3/88-T dated 16th May, 1991 as modified from time to time, the Chairman National Road Safety Council is pleased to

SI. No.	Particulars	No.	Brief Remarks		
1	2	3	4		
A,	Official Members :				
(1)	Minister for the Ministry Road Transport and Highways	of 1	Chairman		
(2)	Minister of State (K) for t Ministry of Road Transpo and Highways	ort	1 Vice-Chairman		
(3)	Minister of State (R) for the Ministry of Road Transport and Highways	ort	1 Vice-Chairman		
(4)	Ministers in-charge of Ro Transport of all States/UT		Members		
(5)	DGs/IGs of all States/UTs	Members			
(6)	Representatives from Cen Ministries/Departments:	tral 7	Members		
	(i) M/o Home Affairs,				
	(ii) M/o Human Resource Development,	e			
	(iii) M/o Railways,				
	(iv) M/o Petroleum & Natural Gas,				
	(v) Department of Heavy Industry,				
	(vi) M/o Environment and Forests,	d			
	(vii) Planning Commission	1.			
(7)	Secretary, M/o Road Transport and Highways	1	Member		
(8)	Chairman, National Highways Authority of India	1	Member		
	Oi mula	1	TATOTHOO		

Director General (Road

Development) and Spl.

Transport & Highways

Secretary, M/o Road

1		2	3	4
(10)	M/c	nt Secretary (Transport), D Road Transport and Chways RT & H	1	Member-
		•		Secretary
		Official Co-opted Members		
(11)		nd Safety Award Winners	4	Members
		NGO Category		
	(i)	Muskan, Jaipur, Rajasthan (Winner)		
		Makkal Sevai Maiyam, Tamil Nadu (Runner-up)		
	(b)	Individual Category		
		Dr. A. M. Ikram, Tamilnadu (Winner)		
		Shri Vinayak Narayan Revankar, Kolhapur, Maharashtra (Runner-up)		
12)	Min	viduals nominated by ister for Road Transport Highways	6	Members
	(i)	Shri Balakaran Patel, R/o Patel Colony, Bararipura, Chhindwara, Madhya Pradesh		
	(ii)	Shri Vinay Bakliwal, B-5, Ratlam Kothi, Indore, Madhya Pradesh		
	(iii)	Dr. Naresh Kumar, Pradhan Palace, Village & P.O. Hirankunda, Delhi-1100)41	
	(iv)	Shri Vinay Sharma, Ex. MLA, BH-732, Shalimar Bagh, Delhi-11008	3	is is
	(v)	Shri Manoj Rajani, Ganga Industries, Dewas, Madhya Pradesh		
((vi)	Shri Pradeep S. Mehta, D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur-302016, Rajasthan		
(13)	rela	vernment Institutions ted to Road Construction, d Safety and Insurance	8	Members
	(i)	Director, Central Road		

Research Institute,

(ii) Director, Central Institute

of Road Transport, Pune

New Delhi

Member

1

(v) President, All India Motor Transport Congress,

New Delhi

[PART I-SEC. 1]

3

- (vi) All India Confederation of Goods Vehicle Owners Association, New Delhi
- 2. Terms of References and functions of the Committee shall be:
 - (i) To advise on all matters pertaining to planning and coordination of policies, standards of safety in the road transport sector;
 - (ii) To formulate and recommend road safety programmes for implementation by State Road Safety Organisations as also other State Agencies in-charge of road transportation;
 - (iii) To suggest areas for research and development to improve safety aspects in the road transport sector including maintenance of statistics of road accidents and their analysis;
 - (iv) To generally oversee and monitor at the central level the road safety measures undertaken by State/UT agencies.
- 3. The Council shall decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning.
- 4. The Council will hold its meeting at least once a year. TA/DA shall be paid to the Non-Official Co-opted Members at Serial Nos. (11) & (12) for the journey undertaken by air by economy class in Indian Airlines or actual whichever is less.
- 5. The tenure of the above co-opted institutional/individual members will be for a period of two years from the date of issue of this Resolution.

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.